

6/11/20

लुकास उपा

जिस समय परसुराट युनी जरी वकील जार्ज ने अपनी बयान में निवेदन किया कि विवाह जागत जार्ज की पैरुड सपारी है। जार्ज का उक्त पैरुड सपारी में 72 रिस्का है। विवाहित जागत जार्ज के ~~सपारी~~ सपारी है। इन्ही स्वयं सपारी से संबंधित एक तरह माननीय सिविल लायाधीन एवं सपारी सपारी के व्यापार में निवारण है। माननीय लाया लय आरि जिला लायाधीन सपारी द्वारा सिविल अफीर आरि उक्त नं 01/2018 निर्णय दिनांक 06/07/18 द्वारा एक तरह के निवारण तब अफर निषेधाज्ञा से अजागीर के पाबुद किया गया। वकील जार्ज ने उक्त निर्णय से अजागीर जरी पैरुड की जिसे शांति मित्र दिनांक वकील जार्ज ने अपनी बयान में निवेदन किया कि अफर निषेधाज्ञा को एक तरह तब अफर निषेधाज्ञा जारी।

वकील अजागीर ने अपनी बयान में निवेदन किया कि इन्ही स्वयं सपारी से संबंधित एक प्रकार के सिविल लाया लय में एक सपारी है। विवाहित जागत पैरुड सपारी है सिविल जार्ज का रिस्का 72 गरी लेवट है 76 रिस्का में निवृत्त है। जार्ज द्वारा 76 रिस्का लेवट है जो अजागीर गरी 76 रिस्का है। वे कि एक तैयार है अतः अफर निषेधाज्ञा आ जार्ज पर स्वीज किया जाते।

जिस के तब पा मनन किया। जैवत आ अफर निषेधाज्ञा। सिविल लाया लय के निर्णय दिनांक 06/07/2018 के द्वारा अजागीर गरी एक तरह के निवारण तब अफर निषेधाज्ञा से पाबुद किया जा अजागीर है। अतः अफर निषेधाज्ञा के स्वीज किया

जायक फलेक्टर
डी.ए.ए. (नामीर)

P.T.O.

6/1/20

जानक अचिर जरी ची शीत हूँ। अतः दिनांक 18/05/2017
द्वी जरी आकर निवेधाना को शक पाउ लउ
कमल (स्वर्ण) विजा जलक हूँ। बगारनी मैमक
शुमार शीत दायेक दपर हूँ।

सहायक कलेक्टर
डीउदाना (नागौर)

